



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1939 (श0)
(सं0 पटना 1066) पटना, मंगलवार, 14 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर 2017

अधिसूचना संख्या 47/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 279, दिनांक 14 नवम्बर 2017— बिहार **माल और सेवा कर अधिनियम, 2017** (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उपधारा (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, **जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है**, एतद्वारा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017-12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।”;

(ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79क	शीष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं"।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-47)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

14 नवम्बर 2017

एस०ओ० 280, एस०ओ० 279, दिनांक 14 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-47)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 14th November 2017

Notification No. 47/2017-State Tax (Rate)

S.O. 279, dated the 14th November 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in Commercial Taxes Department notification No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 555, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 11A, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.”;

(b) the serial number 11B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—47)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1066-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>